IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

स्मृतिकालीन समाज में प्रतिपादित उपपादक प्रायश्चित का एक अध्ययन

प्रो. वेदप्रकाश मिश्रा[1], डॉ. नरेंद्र प्रसाद शुक्ला[2]

संस्कृत विभागाध्यक्ष, संस्कृत एवं प्राच्य भाषा विभाग,
डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)[1]
संस्कृत विभागाध्यक्ष, सी.एम.डी. कॉलेज, बिलासपुर (छ.ग.)[2]

सारांश-

'प्रायश्चित' शब्द संस्कृत के दो शब्दों 'प्रायः' और 'चित्त' से मिलकर बना है। वहाँ 'प्रायः' शब्द का प्रयोग तपस्या, पाप, विनाश, अवश्य आदि के अर्थ में तथा 'चित्त' शब्द का प्रयोग निश्चितता, शुद्धि, मेल-मिलाप आदि के अर्थ में किया जाता है। वहाँ सामान्यतः जिस क्रिया से मनुष्य यह विश्वास करता है कि पाप नष्ट हो गया है, उसे प्रायश्चित कहते है। प्रायश्चित मयूख में उत्तरांगिरस के वचनों के अनुसार यह पाया जाता हैं कि -

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते।

तपो-निश्चयसंयोगात् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥

प्रस्तुत लेख में गोवध आदि जो उपपातक प्रायश्चित है उनके बारे में संक्षेप में विचार किया जाएगा। इस प्रसंग में मनु ने 49 उपपातक प्रायश्चित का विधान बताए हैं तथा याज्ञवल्क्य ने कुल 51 उपपातक प्रायश्चित का विधान दिया है।

मुख्य बिंदु-

उपपातक-प्रायश्चित-गोवध-पंचगव्य-कृच्छ्रव्रत-अतिकृच्छ्रव्रत-गोशाला-गोसेवा-दान-पाप-मुक्त।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

DOI: 10.48175/IJARSCT-37352

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

प्रस्तावना-

विहित कर्म न करने से तथा निषिद्ध कर्म करने से पाप उत्पन्न होता है। वह पाप मनु के अनुसार सात प्रकार का होता हैं: महापातक, महापातक के समान, उपपातक, जातिभ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण और मलिनीकरण। फिर विष्णु ने पापों को नौ श्रेणियों में विभाजित किया है अर्थात महापातक, अतिपातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण और प्रकीर्णक।

उपरोक्त पापों के लिए कई प्रकार प्रायश्चित भी हैं। गुरु पापों के लिए गुरु प्रायश्चित और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित की परिकल्पना की गई हैं। मनु के अनुसार शास्त्रोक्त कर्म को नहीं करता हुआ और शास्त्रों विरुद्ध कर्म का आचरण करता हुआ मनुष्य सर्वदा प्रायश्चित का आचरण करें। याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि नित्य नैमितिक शास्त्र विहित कर्म को न करने तथा शास्त्र में जो निन्दित है वैसा कर्म को करने पर एवं इंद्रिय को निग्रह न करने पर मनुष्य पाप का भागीदार बन होता है। और इस पाप से मुक्ति मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, इस प्रकार आचरित प्रायश्चित से मनुष्य अपने अंतरात्मा को शुद्ध कर लेता है उसके साथ साथ इस लोक समाज में भी व्यवहार योग्य हो जाता है।

उपपातक प्रायश्चित-

ब्रम्ह हत्या आदि पांच महापातक हैं। इनके अतिरिक्त जो पाप कर्म किया जाता है जैसे गोवध आदि वह उपपातक कहा जाता है। मनुस्मृति में कुल उपपातक 49 प्रकार के बताये गए है –

गोवधोऽयाज्यसांयाज्य पारदायाथत्मिवियााः।

गुरुमातृिपतृत्यागाः स्वाध्यायाग्न्योाः सुतस्य च।।

परिवित्ततानुजेऽनूढे पररवेदनमेव च।

तयोदाथनां च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्।।

कन्याया दूषणां चैव वार्धुष्य व्रतलोपनम्।

DOI: 10.48175/IJARSCT-37352

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रय:।।

व्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च।

भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानाां च विक्रय:।।

सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम्।

हिंसौषधीनाां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च।।

इन्धनार्थमशुष्काणाां द्रुमाणामवपातनम्।

आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितानानादानं तथा।।

अनाहिताग्नीता स्तेयमृणानामनपक्रिया।

असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च दिया।।

धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्।

स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्।।

अतः गौ का वध करना उपपातक है, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है जाति कर्म से दोषयुक्त है उस व्यक्ति से यज्ञ कराना भी उपपातक है, पर स्त्री गमन करना, अपनी आत्मा को बेचना यानी अपने आपको किसी के पास बेच देना उपपातक है। अपने गुरु, माता, पिता का त्याग उनके सेवा शुश्रूषा आदि न करना, वेद अध्ययन रूपी जो ब्रह्म यज्ञ है उसका त्याग करना, पठित वेद का विस्मरण, श्रौत स्मार्त कर्म का त्याग करना, और पुत्रों का त्याग करना यानी उनके भरणपोषण सांस्कार आदि न करने पर भी उपपातक पाप लगता है। परिवेत्ता और पररिवित्ती इन दोनों को कन्या दान करना तथा इनका यज्ञ करना भी उपपातक है। कन्या को मैथुन कर्म के विना अङ्गुलि आदि द्वारा दूषित करना, व्याज लेकर धन देने का माध्यम से अपने जीविका निर्वाह करना, ब्रम्ह्चारियों का मैथुन आदि निषिद्ध कर्म करने का माध्यम से व्रत भङ्ग करना, अपने तालाब, बगीचा और स्त्री पुत्रों को बेच देना भी उपपातक दोष है। अपने वर्ण के अनुसार दिए गए समय पर उपनयन न

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

करना, अपने बान्धवों पितृव्य आदि का त्याग करना, वेतन ग्रहण करके अध्यापन करना, वेतन देकर अध्ययन करना, बेचने अयोग्य वस्तुओं को बेच देना भी उपपातक है। सभी प्रकार के सोना लोहा पाषाण आदि खानों में अधिकारी का पद ग्रहण करना, बड़े बड़े प्रवाहों के बंधन करनेवाले सेतु बा ंध आदि का निर्माण करना, औषिधओं के प्रति हिंसा करना, अपनी स्त्री के व्यभिचार से अनेबाला धन से अपने जीविका निर्वाह करना, अभिचार कर्म मारण उचाटन वशीकरण आदि करना भी उपपातक है। ईंधन के लिए जीवित वृक्षों को कटना या कटवाना, देवता पितृ-पुरुष आदि के उद्देश्य में द्रव्य त्याग के विना केवल अपने लिए खाना बनाना तथा निन्दित अन्नों का भोजन करना उपपातक है। अधिकार होने पर भी अग्निहोत्र कर्म का त्याग करना, ब्राह्मण के सोना या तत्सम द्रव्यों के व्यतिरिक्त द्रव्यों का चोरी करना, दूसरे से लिए गए ऋण का परिशोध न करना, श्रुति स्मृति विरुद्ध शास्त्र को अध्ययन करना, कुशीलव क्रिया यानी नाच गान बजा अभिनय आदि से अपने जीविका निर्वाह करना भी उपपातक है।

धान छू चुराना, ता ँबा लोहा आदि धातु का चोरी करना, पशुओं का चोरी करना, मदिरा पीने वाली स्त्री के साथ सांभोग करना, स्त्री का वध करना, शूद्र का वध करना, वैश्य का वध करना, क्षत्रिय का वध करना और नास्तिकता यानी वेदका निंदा करना आदि कर्म में भागग्रहण करना भी उपपातक हैं। याज्ञवल्क्य ने भी इस प्रकार उपपातक का 51 भेद वताया है। इस प्रकार उपपातक के प्रायश्चित्त के विषय में भी विस्तृत चर्चा स्मृति ग्रन्थों में मिलता है। उसमें कुछ मुख्य उपपातक प्रायश्चित्त के वारे में विचार करेंगे। जैसे गोवध प्रायश्चित्त के विषय में मनु ने विस्तार पूर्वक प्रायश्चित्त का विधान किया है। परन्तु याज्ञवल्क्य ने पृथक रूप से चार प्रकार के प्रायश्चित्त का निर्देश किया है-

पञ्चगव्यं पिबेन्द्रोंघो मासमासीत सांयतः।

गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति।।

कृच्छ्रं चैवातिकृच्छ्रां च चरेद्वापि समाहिताः।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

दद्या तत्रिरामं चोपोष्य वृषभैकादशस्तु गा:।।

पहला गोवधकारी इन्द्रिय को सांयम करते हूए एक महीना तक पञ्चगव्य का पान करे, गोशाला में शयन करे, गाय के पश्चात् गमन करे, गाय रुक जाने पर रूक जाए गाय चलने पर चलते रहे इस तरह एक मास वीतने के वाद एक गाय का दान करने पर गोहत्या पाप से मुक्त हो जाता है। दूसरा गोहत्याकारी एक महीना निरन्तर कृच्छव्रत का आचरण करे। तीसरा गोहत्याकारी एक महीना निरन्तर अतिकृच्छव्रत का आचरण करे और चौथा तीन रात उपवास करके एक वृषभ के साथ ग्यारह गाय का दान करे। इस प्रकार गोवधकारी किसी भी एक प्रकार का प्रायश्चित आचरण करके गोवध पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग मनु ने कुछ भिन्न प्रायश्चित का विधान भी दिया है, जैसे- गोहत्याकारी तीन महीना का व्रत आचरण करे इनमे पहला महीना मुंडन कराकर जौ का सत्तु पान करके गौ का चर्म धारण करके गोशाला में निवास करे। इसके बाद दूसरा और तीसरा महीने में गोमूत्र से स्नान करे। इस समय जितेन्द्री होकर दिन के चौथे प्रहर में क्षार और लवण को छोडकर थोडा हविष्य अन्न का भोजन करे। इन दो महीने में निरन्तर गो सेवा करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और थोडा रुककर गौओं के खुर से उडी हुई धूल का पान करे, और रात्रि को गौओं की सेवा और नमस्कार करके वीरासन में रहे। गौओं के खडे होने पर खडे हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चले और बैठने पर बैठ जाए, यह नियम के अनुसार राग-द्वेषरिहत होकर पालन करे। सर्वदा गौओं की रक्षा करे चाहे वह चौर व्याघ्र आदि के भय से हो या कहीं गीर गई हो अथवा कीचड़ में फसी हुई हो। इस प्रकार अत्यिधक गर्मी, वर्षा और शीत में या अधिक वायु चलने के समय अपनी रक्षा के विषय में चिंता न करते हूए गौओं की रक्षा करे। इस तरह तीन महीने तक विधिपूर्वक गौओं की सेवा करके गोबधकारी एक बैल और दस गौओंका दान करे इसके अभाव में अपने पास जो कुछ भी है वह सव वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान में देकर गोहत्या पाप से मुक्त हो जाता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

निष्कर्ष -

इस प्रकार स्मृतिकालीन समाज में ब्रह्महत्या आदि महापातक प्रायश्चित के तरह अल्प पाप में गौ आदि का वध करने से जो पाप उत्पन्न होता है उसे उपपातक कहाँ जाता है। इस उपपातक को प्रायश्चित कैसे करने है ईस विषय पर स्मृतियों में जो विधि विधान है उसका सांक्षेप में मैंने प्रस्तुत लेख में उल्लिखित किया है। गौओं की वध करने वाला पञ्चगव्य पान के साथ साथ प्रायश्चित के रूप में गौ का अनुगमन आदि गोशाला में वास के साथ साथ गोदान के माध्यम से गोहत्या उपपातक से मुक्त हो जाता है।

सन्दर्भ सूची-

1. भट्ट, श्री नीलकण्ठ,(1986) भगवन्तभास्कर, प्रायश्चित्तमयुख, चौखम्बा सांस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, पृष्ठा- 2
2. शास्त्री, श्री पं. हरगोविन्द, (2019), मनुस्मृ◌ितः, मन्वर्थमुक्तावली टीकासहिता, मणिप्रभा हिन्दीव्याख्योपेता, चौखम्भा सांस्कृत भवन, वाराणसी अध्याय 11, श्लोक 54-70
3. जॉली, जूलियस, (1962) विष्णुस्मृति , चौखम्बा सांस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, अध्याय 33, श्लोक 3-5
4. शास्त्री, श्री पं. हरगोविन्द, (2019), मनुस्मृ◌ितः, मन्वर्थमुक्तावली टीकासहिता, मणिप्रभा हिन्दीव्याख्योपेता, चौखम्भा सांस्कृत भवन, वाराणसी अध्याय 11, श्लोक 44
5. शास्त्री, श्री पं. हरगोविन्द, (2019), मनुस्मृ◌ितः, मन्वर्थमुक्तावली टीकासहिता, मणिप्रभा हिन्दीव्याख्योपेता, चौखम्भा सांस्कृत भवन, वाराणसी अध्याय 11, श्लोक 59-66
6. राय, डॉ. गङ्गासागर, (2007), याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षराटीका सहिता, चौखम्बा सांस्कृत प्रतिष्ठानम्, दिल्ली, अध्याय 3, श्लोक 234-242

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

7. राय, डॉ. गङ्गासागर, (2007), याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षराटीका सहिता, चौखम्बा सांस्कृत प्रतिष्ठानम्, दिल्ली, अध्याय 3, श्लोक 263-26